न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास बइजलास अम्बालाल मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण : 11/2012

1– गोपाल आत्मज रत्तीराम

2– पन्नालाल आत्मज रामनारायण

3–दुर्गाशंकर आत्मज रामनारायण

4– कैलास पुत्री रामनारायण

5– विष्णुकान्ता पुत्री रामनारायण जाति खाती निवासीगण कनवास

– वादीगण

--बनाम--

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.एकट

निर्णय

दिनॉक :– 18/02/16

वादीगण द्वारा एक वाद अर्न्तगत धारा 88,89 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि ग्राम कनवास तहसील कनवास में वर्तमान ख.न. 1952 की रकबा 0.06 है0 कृषि भूमि स्थित है जो कि वादीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उक्त कृषि भूमि के साबिक ख.न. 1964 रकबा 8 बीधा रहे है उक्त ख.न. साबिक 1964 की 8 बीधा कृषि भूमि के पूर्व मे साबिक ख.न. 1965 पश्चिम मे साबिक ख.न.1971 धूलेट सडक ख.न. 1966 उत्तर में साबिक ख.न. 1963 की कृषि भूमि स्थित है हॉल ही मे हुऐ सेटलमेन्ट के उपरान्त साबिक ख.न. 1956 रकबा 12 बीधा के वर्तमान ख.न. 1953 की 0.01 है0 सा.ख.न.1966 रकबा 8 बीधा के वर्तमान ख.न. 1954 रकबा 0.06 है0 सा.ख. न.1963 मि. रकबा 1 बीधा 19 बिस्वा के वर्तमान ख.न. 1951 रकबा 0.31 है0 व साबिक ख.न. 1963 मि. रकबा 2 बीधा के वर्तमान ख.न. 1965 की 0.02 है. साबिक ख.न. 1971 की 1 बीधा 5 बिस्वा के वर्तमान ख.न. 1959 रकबा 0.02 है दर्ज किये गये। वादीगण के खाते मे दर्ज साबिक ख.न. 1964 की 8 बिस्वा भूमि जिसके वर्तमान खन.न 0.06 है0 पर वादीगण का अपने पूर्वजों के समय से ही उपयोग,उपभोग चला रहा है। सेटलमेन्ट द्वारा जिस जगह ख.न. 1953 का अंकन किया गया है उक्त स्थान पर नक्शा टेस मे वादीगण के खाते में दर्ज ख.न. 1952 की भूमि का अंकन किया जाना चाहिए तथा खसरा न.1953 की भूमि जिसका साबिक ख.न.1965 रहे है का अंकन सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शाट्रैस अनुसार साबिक खसरा न. 1965 के स्थान पर जों कि ख.न. 1964 की भूमि के पूर्व मे है पर होना चाहिए । अतः वादी के पक्ष में धोषणात्मक् डिकी पारित की जाकर इस आशय की धोषणा की जावे कि वादीगण उनके खाते में दर्ज वर्तमान ख.न. 1952 रकबा 0.06 है0भूमि को वर्तमान नक्शाट्रेस मे सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शाट्रैस अनुसार वर्तमान ख.न. 1953 रकबा 0.10है0 भूमि के स्थान पर तथा ख.न. 1953 की भूमि को नक्शाट्रेस में ख.न.1952 की भूमि के पूर्व में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज0)

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर । प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करते हुऐ अवगत करवाया कि ग्राम कनवास प0म0 कनवास से धूलेट चौराहे के बीच स्थित ख.न. 1953 की 0.10,1952 की 0.06 है0 भूमि मिलान क्षैत्रफल के अनुसार पुराना ख.न. 1964 रकबा 8 बिस्वा जिसकी नवीन ख.न.1952 रकबा 0.06 है. खातेदार पन्नालाल,दुर्गाशंकर पुत्र रामनाराण,कैलाश,विष्णुकान्ता पुत्री रामनारायण हि. 1/3 गोपाल पुत्र रतीराम हि. 2/3 जाति खाती निवासी कनवास के खाते दर्ज है। किन्तु उपरोक्त खातेदार वर्तमान ख.न. 1953 रकबा 0.10 है0 पर काबिज है। ख.न. 1953 का पुराना ख.न.1965 रकबा 12 बिस्वा ख.न. पुराना 1965 ख.न. 1964 के लगवा है तथा वर्तमान मे पुराना नक्शा का मिलान अनुसार ख.न. 1953 है तथा उपरोक्त खातेदार भी ख.न. नवीन ख.न. 1953 पर काबिज है । ख.न. 1952 की 0.06 है0 आराजी को सिवायचक कर दिया जाए व ख.न. 1953 रकबा 0.06 उपरोक्त खातेदारो के दर्ज कर शेष बची हुई भूमि 0.4 है को सिवायचक आबादी ग्राम पंचायत कनवास कर दिया जाए। इस प्रकार में ख.न. 1952 रकबा 0.10 है. व ख.न. 1953 हका रकबा 0.06 है0 हो जाएगा वर्तमान में ख.न. 1953 रकबा 0.10.है आबादी ग्राम पंचायत कनवास के खाते दर्ज है किन्तु मौके पर उपरोक्त खातेदारो का कब्जा है।

बहस सुनी गई । वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ कथन किया कि वादी के पक्ष में धोषणात्मक् डिकी पारित की जाकर इस आशय की धोषणा की जावे कि वादीगण उनके खाते में दर्ज वर्तमान ख.न. 1952 रकबा 0.06 है0भूमि को वर्तमान नक्शाट्रेस मे सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शाट्रैस अनुसार वर्तमान ख.न. 1953 रकबा 0.10है0 भूमि के स्थान पर तथा ख.न. 1953 की भूमि को नक्शाट्रैस में ख.न 1952 की भूमि के पूर्व में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । पत्रावली पर उलब्ध रेकार्ड जामबंदी सम्वत् 2050—53 मे पन्नालाल,दुर्गाशंकर वल्द रामनारायण व कैलास विष्णुकान्ता पुत्रीया रामनारायण व रूधनाथी बेवा रामनाराण,नाथूलाल,गोपाल पि. रत्तीराम कौम खाती दर्ज रेकार्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2065—68 में पन्नालाल,दुर्गाशंकर पुत्र रामनारायण ,कैलास,विष्णुकान्ता पुत्री रामनारायण हिस्सा 1/3 गोपाल पुत्र रतीराम हि. 2/3 जाति खाती दर्ज रेकार्ड है।

उक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अुनसार ख.न. 1953 रकबा 0.10 है0 की भूमि आबादी ग्राम पंचायत कनवास के खाते दर्ज है। उक्त आराजी किस कारणवश सिवायचक दर्ज होकर पंचायत के खाते चली गई इस बाबत पत्रावली पर कोई रेकार्ड उपलब्ध नही है। ऐसा होने पर वादीगण द्वारा संबधित सेंटलमेन्ट अधिकारीयों को अपील प्रस्तुत क्यों नही की इस बाबत् भी कोई रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही है जबकि प्रतिवर्ष लगान आदि अदा करने के संबध में वादीगण को सावचेत रहना था जो वह नही थें । चूकि प्रकरण में ग्राम पंचायत कनवास को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक् था जो प्रकरण में नही बनाया गया है। अतः दावा वादी खारिज किया जाता है।

अम्बालाल मीणा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास